कार्यकारी सारांश

01. प्रस्तावना

प्रदूषण और अस्पतालों से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य देश के लिए रहा है। M/S मेडिकेयर इनवायमेंट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में सर्वप्रथम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य इसी तरह की परियोजनाओं को स्थापित करने का गौरव प्राप्त है।

ईआईए की अधिसूचना S.O.No. 1533 Dated 14th sep.2006 मे यह प्रस्तावित परियोजना 7 (da) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की श्रेणी में आता है। MoEF&CC द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2015 को प्रकाशित राजपत्र मे यह परियोजना को तथा इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता SEAC छत्तीसगढ़ से है। प्रस्ताव में विस्तृत ईआईए अध्ययन के उपक्रम के लिए संदर्भ (टीओआर) की शर्तो के निर्धारण के लिए 17 नवम्बर 2015 के दौरान आयोजित बैठक ईएसी ने विचार किया। SEAC अपने पत्र सं. 4556/SEAC/टीओरआर/BIO. MED/JAJ-चांपा/166, दिनांक 14 जनवरी 2016 के तहत टीओआर जारी किया।

सीएसआईडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) ने भूमि आबंटन कापन औद्योगिक क्षेत्र में सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के लिये दिया है। भूमि का आबंटन दिनांक 1 सितम्बर 2015 पत्र संख्या सीएसआईडीसी/बी/बीए/2015/5498 के द्वारा किया गया है।

02. परियोजना क्षमता विवरण

यह परियोजना, जांजगीर–चांपा और आस–पास के जिलों के स्वास्थ्य इकाइयों में 25,000 बिस्तरों से तकरीबन @ 0.160 किग्रा/दिन/बिस्तर पर प्रति दिन 5 टन के बराबर को पूरा करने में किये उद्देश्य से स्थापित की जाती है।

1. भस्मित्र की क्षमता – 250 किलो/घंटा
2. ऑटोक्लेव की क्षमता – 2.0 टन/दिन (430 लीटर)
3. श्रेयडर की क्षमता – 1 टन/दिन

03. भूमि विवरण

यह परियोजना को कापन औद्योगिक क्षेत्र में 1.23 एकड़ में आम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट व सहायक इकाइयों को लगाने का प्रस्ताव है।

04. पानी की आवश्यकता

प्रस्तावित सुविधा के लिए कुल पानी की जरूरत 20 केएलडी है और इस परियोजना के लिए इस पानी की आवश्यकता बोर कुओं के माध्यम से सीमा परिसर में पूरा किया जावेगा और अपशिष्ट जल लगभग 15 केएलडी रहेगा, अपशिष्ट जल ईटीपी से उपचार किया जाएगा।

मेडिकेयर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियम, 2016 के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए भस्मित्र से फ्लिप गैस के तापमान को कम करने के लिए, तेजी से शमन, आदि इसके अलावा के कारण डाइओक्सिन और फ्यूरॉन को कम करने के

लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) लगाया गया है। 32 केएलडी पानी को एपीसीटी संचालन के द्वारा रिसरकुलेट किया जाना आवश्यक है।

05. पावर आवश्यकता

आवश्यक बिजली 0.075 मेगावाट को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग से लिया जाएगा। आपतकालीन बैकअप के लिए डीजी सेट 100 केवीए की क्षमता के साथ उपयोग के लिये रहेगा।

06. आवश्यक जनशक्ति

अनुबंध के आधार पर मजदूरों और कर्मचारियों को निर्माण के चरण मे आसपास के गांवों से काम पर रखा जाएगा और 35 व्यक्तियों को कुशल और अकुशल श्रेणी में परिचारण चरण में रखने का प्रस्ताव है।

07. आधारभूत पर्यावरण की स्थिति

आधारभूत डाटा बनाने के लिए सर्दियों का मौसम दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016 लिया गया है। अध्ययन की अवधि के दौरान प्रमुख हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। परिवेशी वायु गुणवत्ता नापने के लिए 10 स्थानों पर नजर रखी गई थी और इन्ही स्थानों से परिणाम प्राप्त किया गया और पाया की सभी आवासीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानों में लागू मानकों के सीमा के भीतर ही दर्ज पाये गये है।

अध्ययन के क्षेत्र में पानी के 10 नमूने भूजल स्त्रोतों से एकत्र किए गए थे और सतह के पानी के 5 नमूने भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के लिए विश्लेषण किया

गया। कुल मिलाकर सभी भू–जल अध्ययन के क्षेत्र से एकत्र नमूने IS 10500 पीने के पानी के मानकों के है व मानव उपभोग के लिए फीट पाया गया व एक नमूना बाकी सभी वांछनीय सीमा में था।

शोर माप उपकरण का उपयोग कर आधारभूत शोर के स्तर के अध्ययन क्षेत्र के भीतर 10 स्थानों पर नजर रखी गई है। अध्ययन की अवधि के दौरान दिन के समकक्ष 59.4 डीबी (ए) के लिए 51.4 के बीच लेकर कर रहे है। जबकि रात समकक्ष 44.5 डीबी (ए) के लिए 41.5 की रेंज में थे। परिणामों से यह देखा जा सकता है कि दिन और रात के समकक्ष व्यावसायिक गतिविधियों के कारण एक स्थान छोड़कर आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र मानकों का परिवेश शोर मानकों के भीतर थे।

मिट्टी की कृषि उत्पादकता पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधि मिट्टी के नमूने 10 स्थानों पर एकत्र किए गए थे।

08. प्रत्याशित प्रभावों

निर्माण के चरण में कार्य जैसे साइट क्लियरियेंस, साइट गठन, निर्माण कार्य, बुनियादी ढांचे के प्रावधान और किसी भी अन्य बुनियादी ढांचे की गतिविधियां भी शामिल है। निर्माण गतिविधियों की वजह से प्रभाव अल्पावधि निर्माण के चरण तक सीमित है। हवा की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता और सामाजिक अर्थशास्त्र, आवश्यक नियंत्रण उपायों के प्रभावों को कम करने के लिए किया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना के संचालन चरण के दौरान वहाँ सामाजिक–आर्थिक पहलुओं, हवा पर्यावरण, पानी पर्यावरण, भूमि महौल पर प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत के रूप निम्नानुसार है।

1. वाहनों से होने वाले परिवहन के संचालन से क्षेत्र स्त्रोत उत्सर्जन।
2. भस्मित्र और डीजी सेट से उत्सर्जन।

क्षेत्र स्त्रोंत उत्सर्जन और लाइन स्त्रोत उत्सर्जन, संयंत्र परिसर के भीतर ही रहेगा जबकि बिन्दु स्त्रोत उत्सर्जन प्रस्तावित परियोजना के भीतर ही उम्मीद है।

09. पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समय को कम करके उसका सद्उपयोग करना जो विभिन्न पर्यावरणीय मानको को नुकसान होने से बचा सकता है। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की दक्षता का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है।

10. जोखिम विश्लेषण

जोखिम मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रमुख खतरों की पहचान करके आपात परिणाम (आपदाओं) से सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यो को प्रगतिशिल ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रस्तावित परियोजना के कारण जोखिम को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय डिजाइन चरण के दौरान लिया जाएगा और यह भी अभियान की अवधि, फायर एण्ड

सेफ्टी नियंत्रण उपायों, आपातकालीन तैयारियों योजना, आपदा प्रबंधन योजना, आदि का उच्च स्तर पर कार्यपालन होगा।

11. परियोजना लाभ

प्रस्तावित परियोजना से प्रमुख लाभ, एक आम जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित करके अपमानित माहौल में सुधार शामिल है। यह हरे और स्वच्छ पर्यावरण के अतिरिक्त लाभ के साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अन्य राज्यों के लिए उदाहरण होगा। यह क्षेत्र खतरनाक जैव चिकित्सा अपशिष्ट डंप साइटों की संख्या को कम कर देता है और प्रदूषण का खतरा समाप्त कर देगा। कचरें के प्रबंधन के लिए अपेक्षाकृत आसान और आम सुविधा पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। प्राकृतिक संसाधन प्रदूषण की रोकथाम होगा जिससे क्षेत्र में समग्र पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो सकेगा।

12. पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तावित परियोजना स्थल के क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) इस उद्देश्य को पूरा करने मे सक्षम है। पर्यावरण प्रबंधन योजना का उद्देश्य परियोजना से संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए और प्रतिकुल प्रभावों कोकम करे के लिए है।

13. परियोजना लागत

परियोजना लागत पूंजी अनमानों के बारे में 10 करोड़ है।

14. ईएमपी के लिए बजटीय प्रावधान

पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा उपयों के लिए ईएमपी/पर्यावरण शमन उपायों के प्रति लागत 1.60 करोड़ रूपये के प्रस्तावित है । प्रतिवर्ष 16 लाख रूपये की लागत के साथ आवर्ती ।

15. सामाजिक–आर्थिक विकास गविविधियां (सीएसआर)

कंपनी सामाजिक विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी सुविधाओं, आदि के तरह आसपास के गांवों में कल्याणकारी उपायों के लिए 4.0 लाख रूपये के धन के बजट का प्रवधान करेगा। इस कोष को 3 साल की अवधि में उपयोग किया जायेगा। इसके बाद कंपनी 2 % PAT का भी प्रवधान करेगा।

16. निष्कर्ष

कंपनी पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय पर्यावरण को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के खतरों को कम कर सकती है। इस तरह की परियोजनाओं निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।